

**07 किलो 398 ग्राम गाँजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, एक अदद मोटर टाटा मरिनों
इण्डिकों कार बरामद**

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में दिनांक 29.03.2021 को प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय दिलीप कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 राज कुमार तिवारी, उ0नि0 संजय कुमार सिंह का0 दीपू सिंह, का0 अखिलेश गुप्ता के साथ शराब की विक्री व मादक पदार्थ की विक्री के रोकथाम हेतु चेकिंग किया जा रहा था उसी दौरान एक टाटा मरिना इण्डिकों कार न0 UP70BR1839 पुलिस बल को देखकर तेज गति से भागने लगी। शंका होने पर पुलिस बल द्वारा उक्त गाड़ी का पीछा करने पर गाड़ी अनियन्त्रित होकर फरिहा रानी की सराय महमूद पुर के सामने गेहूं के खेत में जाकर पलट गयी। मौके से गाड़ी में बैठे दो व्यक्ति फरार हो गये तथा चालक को समय 22.50 बजे पकड़ लिया गया। चालक से नाम पाता पुछने पर उसने अपना नाम रामनयन पुत्र समई प्रसाद ग्राम मगरावां विन्द्र बाजार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ तथा फरार अभियुक्तगण का नाम क्रमशः 1. रामजनम चौहान पुत्र समई प्रसाद ग्राम नोहरेपुर बकरी थाना रानीपुर जनपद मऊ 2. अनिल गुप्ता पुत्र स्व0 सन्तु गुप्ता ग्राम भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बताया। गाड़ी की तलाशी में 07 किलो 398 ग्राम नाजायज गाँजा, दो अदद सैमसंग मोबाइल व 11100 रूपया नगद बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 30/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त गाँजा की तस्करी कर अपना व परिवार का भरण पोषण करता है। वर्ष 2019, 2020 में थाना गम्भीरपुर तथा वर्ष 2017 में थाना जहानागंज से एनडीपीएस एक्ट में जेल भी जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त

रामनयन पुत्र समई प्रसाद ग्राम मगरावां विन्द्र बाजार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 30/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 39/2019 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
2. मु0अ0स0 40/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

3. मु0अ0स0 43/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ

4. मु0अ0स0 30/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ

फरार अभियुक्तगण

1. रामजनम चौहान पुत्र समई प्रसाद ग्राम नोहरेपुर बकरी थाना रानीपुर जनपद मऊ।

2. अनिल गुप्ता पुत्र स्व0 सन्तु गुप्ता ग्राम भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ ।

बरामदगी

1. 07 किलो 398 ग्राम गाँजा ।

2. एक अदद मोटर टाटा मरिनो इण्डिकों कार न0 UP70BR1839

3. 11100 रूपयें व दो अदद सैमसंग मोबाइल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार सिंह, उ0नि0 राज कुमार तिवारी, उ0नि0 संजय कुमार सिंह, का0 दीपू सिंह, का0 अखिलेश गुप्ता थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ ।

थानाफूलपुर-

एक राशि गाय व दो राशि बछडा गोवंशीय के साथ अपचारी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 29/03/ 0 को भारत बिन्द पुत्र स्व 2021सोमारु बिन्द आदि कई व्यक्ति निवासीगण ग्राम सदरपुर बरौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 29 /3/ 21 10 को रात्रि समय लगभग. सालिम ,कासिम उर्फ भोला पुत्र मोबीन , बजे के बीच में मोबीन पुत्र निरखू 30 उर्फ घोटू पुत्र मोबीन निवासी गण ग्राम मानपुर व एहसान पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम मुडियार व कुछ अज्ञात लोग गोवंशीय पशु एक राशि गाय दो राशि बछडा गोकशी करने की नियत से उनको बेरहमी से , रस्सी से बांधकर मारते हुये लेकर जा रहे थे। हम लोगो ने जब उन लोगो को घेरना पकड ना चाहे तो कासिम उर्फ भोला पुत्र मोबीन भागते समय गिर गया जिसको हम लोगो ने पकड लिया तथा जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया । शेष भागने में सफल रहे भागते समय अभियुक्तगण द्वारा गन्दी -2 गालिया देने के साथसाथ- जान से मारने की भी धमकी दिये ।जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु42 0सं0अ0/ 2021 504 धारा,3 भादवि व 506//ए58 गोबध निवा पंजीकृत 0पशु क्रुरता अधि 11 व 0अधि 0किया गया ।

गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण -

उक्त मुकदमे में जनता के व्यक्तियों द्वारा बरामदशुदा गोवंशीय पशुओ व पकडे गये व्यक्ति कासिम उर्फ भोला पुत्र मोबीन निवासी ग्राम मानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ को उ कमला शंकर गिरी मय 0नि0 हमराहियान द्वारा मौके पर जाकरउक्त मुकदमे में आज दिनांक 30.3. को गोवंशीय पशुओं को 21 नियमानुसार कब्जा पुलिस में लिया गया। गोवंशीय पशुओं का मेडिकल परीक्षण कर उन्हे नियमानुसार गौशाला में दाखिल किया गया तथा अपचारी अभियुक्त को उक्त मुकदमा में गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण अपचारी अभियुक्त पूछताछ में अपने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया सा -हब हम लोग गाय बछड़े को बेच कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मेरी उम्र वर्ष है। 16

सम्बन्धित मुकदमा -

मु42 0सं0अ0/504 धारा 2021/3 भादवि व 506//ए58 गोवध निवारण अधि 0पशु क्रूरता अधि 11 व 0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अपचारी अभियुक्त-

1. कासिम उर्फ भोला पुत्र मोबीन निवासी ग्राम मानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब वर्ष 16

बरामदगी-

एक राशि गाय व दो राशि बछड़ा गौवंशीय

थाना निजामाबाद

एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस बोर 315 के साथ थाने का टाप टेन अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चेकिंग अवैध वाहन व संदिग्ध व्यक्तियों के अभियान के क्रम में दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.03. रहीमुद्दीन मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र करत 0नि0को उ 2021 े हुए निजामाबाद बाजार में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की एक व्यक्ति बड़ागाव नहर पुलिया के पास अवैध तमंचा लेकर घूम रहा कि मुखबिर खास पर विश्वास करके बड़ागाव नहर पुलिया के पास पहुचे तो एक व्यक्ति आता दिखाई दिया कि पुलिस टीम के रोकने पर भागने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप पुलिस टीम द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया तथा कड़ाई से नाम पता पूछा गया को अपना नाम विशाल पुत्र महेन्द्र सा गन्धुवई थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताया तथा उपरोक्त व्यक्ति की ज 0ामा तलाशी ली गयी तो एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस बोर नाजायज बरामद हुआ। अवैध असलहा की बरामदगी के आधार पर 315 0सं0अ0थाना स्थानीय पर मु- 59/3 धारा 21/ आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर 25चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण गिरफ्तार अभियुक्त -से पूछने पर बता रहा है कि साहब असलहा अपने पास शौखियन रखता हूँ जिससे लोगों में भय बना रहता है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

विशाल पुत्र महेन्द्र सा गन्धुवई थाना निजामाबाद आजमगढ़ 0

बरामदगी-

एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस बोर नजायज 315

पंजीकृत अभियोग -

मु0सं0अ0- 59/3 धारा 21/आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़ 25

गिरफ्तार करने वाली टीम-

.1उरहीमुद्दीन मय हमराहीयान थाना निजामाबाद 0नि0, आमजगढ़

प्रेस विज्ञप्ति -

थाना जीयनपुर -

एक अदद कट्टा बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार 315 एक अदद जिन्दा कारतूस ,बोर 315

दिनांक 29.03.2021 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वारण्टी वांछित अपराधियो/ की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन मे व . क्षेत्राधिकारी सगडी व प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व मे उनि ज्ञानप्रकाश तिवारी प्रभारी चौकी लाटघाट द्वारा .होलिका दहन , त्यौहार होली, शव ए बारात को सकुशल सम्पन्न कराया गया तथा क्षेत्र भ्रमण तलाश वांछित से एक अभियुक्त सुरज राय उर्फ डिम्पल राय पुत्र स्व आजमगढ़ उम्र क- दिवाकर राय निवासी मोहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद .रीब 19 वर्षको एक अदद तमंचा बोर 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 के साथ समय 16. बजे 30बदह ग्राम

मोहम्मदपुर बगिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु 0सं0अ0-106/3 धारा 2021/25 A Act पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुरज राय उर्फ डिम्पल राय पुत्र स्व आजमगढ़-दिवाकर राय निवासी मोहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद .

बरामदगी-

एक अदद कट्टा बोर 315 एक अदद जिन्दा कारतूस ,बोर 315

पंजीकृत अभियोग-

मु/106 0सं0अ02021 धारा 3/ आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर 25आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. S.I ज्ञानप्रकाश तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. का हिरालाल 0थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

थाना जीयनपुर -

वांछित अभियुक्त गिरफ्तार 01

दिनांक 29.3. को वादी प्रदीप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी आसपुर थाना 2021जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये लिखित तहरीर के अधार पर थाना स्थानीय मु -सं0अ0103/2021 धारा-304 भादवि बनाम नीरज सोनकर पुत्र दरोगा सोनकर निवासी मिश्रपुर थाना जीयनपुर (खटकौली), आजमगढ़ पंजीकृत है ।

आज दिनांक 30.03. को 2021पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वारण्टी वांछित/ अपराधियो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल ज्ञानप्रकाश तिवारी प्रभारी चौकी .नि. निर्देशन मे व क्षेत्राधिकारी सगडी व प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व मे उ लाटघाट द्वारा मुखबीर की सूचना पर लाटघट पुलिया से मु 103 0सं0अ0/ भादवि थाना जीयनपुर 304 धारा 2021 लाटघाट थाना जीयनपुर आजमगढ़ को 0 आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त नीरज सोनकर पुत्र दरोगा सोनकर सा 06 समय करीब. बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चाल 05:ान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण पूछने पर बताया कि कल हमने एक व्यक्ति को मुक्का से मारा था कि बाद मे वह मर गया तथा थाना - जीयनपुर की पुलिस हमे खोज रही है आप लोगो को देखकर इसी लिए भागने वाला था कि आप लोगो ने हमे पकड लिया ।

पंजीकृत अभियोग-

मु103 0सं0अ0/ भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ 304 धारा 2021

गिरफ्तार अभियुक्त-

नीरज सोनकर पुत्र दरोगा सोनकर सालाटघाट थाना जीयनपुर आजमगढ़ 0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. S.I ज्ञानप्रकाश तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. काहिरालाल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 0 ।

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 65 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।